न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2025 / 450 दर्ज तिथिः–01.07.2025

1. मिश्राराम पुत्र मोडाराम
   जाति साद निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. पेमाराम पुत्र नारणाराम
2. राउ चौधरी पत्नी रतनाराम
3. लीलादेवी पत्नी नारणाराम
4. हनुमानराम पुत्र मोडाराम
   जाति साद निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री गंगाराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.09.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 201 हाल खसरा नम्बर 113 / 4.9533 है0 मौजा राणासर खुर्द में प्रार्थी 1 / 3 हिस्से का खातेदार, खाता संख्या 203 हाल खसरा नम्बर 250 / 6.6449 है0 मौजा राणासर खुर्द में प्रार्थी 1 / 3 हिस्से का खातेदार एवं खाता संख्या 202 हाल खसरा संख्या 137 / 0.8256 है0 मौजा राणासर खुर्द में प्रार्थी1 / 3 हिस्से का खातेदार तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में खाता संख्या 201, 203 एवं 202 में प्रार्थी का नाम मिश्राराम पुत्र मोडाराम अंकित है। जबकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम मिश्रीदास पुत्र मोडाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम मिश्रीदास पुत्र मोडाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मिश्रीदास पुत्र मोडाराम के स्थान पर मिश्राराम पुत्र मोडाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में मिश्राराम पुत्र मोडाराम दुरूस्त कर सही नाम मिश्रीदास पुत्र मोडाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–2077 वाके ग्राम राणासर खुर्द के नवीन खाता संख्या 201, 203 एवं 202 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता संख्या	खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
201	मिश्राराम पुत्र मोडाराम	1/3	113	4.9533
203	मिश्राराम पुत्र मोडाराम	1/3	250	6.6449
202	मिश्राराम पुत्र मोडाराम	1/3	137	0.8256

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	मिश्रीदास पुत्र मोडाराम
पैन कार्ड	मिश्रीदास पुत्र मोडाराम
जन आधार कार्ड	मिश्रीदास
राशन कार्ड	मिश्रीदास पुत्र मोडाराम
जॉब कार्ड	मिश्रीदास पुत्र मोडाराम
बैंक डायरी	मिश्रीदास पुत्र मोडाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. प्रार्थी मिश्राराम पुत्र मोडाराम का नाम राजस्व दस्तावेजों में मिश्राराम पुत्र मोडाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का नाम मिश्रीदास पुत्र मोडाराम जाति साद वास्तविक नाम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:23 IST
Reason: SelfAttested

2. *प्रार्थी मिश्राराम पुत्र मोडाराम के सन्दर्भ में जांच करने पर प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं परिचय पत्र में मिश्रीदास पुत्र मोडाराम जाति साद दर्ज है।*
3. *प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं परिचय पत्र के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मिश्राराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर मिश्रीदास पुत्र मोडाराम शुद्ध किया जाना उचित है।*

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मिश्राराम पुत्र मोडाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम मिश्रीदास पुत्र मोडाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **मिश्राराम पुत्र मोडाराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **मिश्रीदास पुत्र मोडाराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.14 20:43:23 IST
Reason: SelfAttested